न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 45 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. पुखराज पुत्र भारताराम जाति मेघवाल निवासी अर्जियाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।	बनाम	1.सवाराम पुत्र गेगरराम जाति मेघवाल निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर। 2.मकुड़ी पुत्र भारताराम पत्नी जगाराम जाति मेघवाल निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाड़मेर। 3.ग्यारसी पुत्र भारताराम जाति मेघवाल निवासी अर्जीयाणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर। 4.राज.सरकार जरिये तहसीलदार, सिवाना।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना के राजस्व वाद संख्या 82/2011 बअनवान सवाराम बनाम भारताराम कायम मुकाम पुखराज निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.11.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सारंगराम मेघवाल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पूंजराज बामणियां रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 06.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने एक राजस्व वाद मनगढत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व गांव अर्जियाना तहसील सिवाना में खेत खसरा संख्या 115 रकबा 11.09 बीघा, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 118 रकबा 09.06 बीघा, खसरा संख्या 119 रकबा 09.02 बीघा, कुल रकबा 29.14 बीघा किस्म रेतीली आई हुई है। वादी के पिता गेगरजी कोमन एन्सेस्टर थे हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते रहे। वादी/उतरदाता संख्या 01 की पत्नी शुरू से ही एलकोबेक्स जोधपुर में नौकरी करते थे तथा सम्पूर्ण नौकरी की आय से संचित ही गई जमा पूंजी से, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गेगरजी ने अपनी जीवन भर की कमाई व संचित की गई राशि के लाभ एवं संयुक्त परिवार की संचित पूल की राशि से अपने जीवनकाल में अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 भारता के नाम से विक्रय विलेख में लिखवाकर उक्त विवादित कृषि भूमि खरीदी की जबकि वास्तविक खरीद स्व. गेगरजी के संयुक्त हिन्दू परिवार के बतौर मुखिया द्वारा की गई थी इस प्रकार उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का वास्तविक स्वरूप पैतृक एवं सुयक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति रहा। जिसमें वादी के हक हित अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के सम्मन तामिल कुन्निदा से तामिल मे मिलावट कर गलत रूप से तामिल कर तामिल रिपोर्ट पेश की गई, जिसके आधार पर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी तक नहीं की है तथा बिना मौका रिपोर्ट व विभाजन प्रस्ताव मंगवाये बिना ही बंटवाड़ा करने का निर्णय पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित होने व पक्षपात पूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दिनांक 30.10.2018 को प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पेरवी में खारिज हो जाने के बाद अपीलांट द्वारा पेश रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र संख्या 02/2019 में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2019 की पालना में पुनः बरामद होकर पत्रावली पेश हुई। रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र में रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 बावजूद सम्मन तामीली/सूचना अनुपस्थित, रहने से उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व गांव अर्जियाना तहसील सिवाना में खेत खसरा संख्या 115 रकबा 11.09 बीघा, खसरा संख्या 118 रकबा 09.06 बीघा, खसरा संख्या 119 रकबा 09.02 बीघा, कुल रकबा 29.14 बीघा किस्म रेतीली आई हुई है। जो वादग्रस्त कृषि भूमि का वास्तविक स्वरूप पैतृक एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सुयक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति रहा। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के सम्मन तामिल कुन्निदा से तामिल मे मिलावट कर गलत रूप से तामिल कर तामिल रिपोर्ट पेश की गई, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी तक नहीं की है तथा बिना मौका रिपोर्ट व विभाजन प्रस्ताव मंगवाये बिना ही बंटवाड़ा करने का निर्णय पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 ने बहस व रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से इकबालिया जवाब मय शपथ–पत्र देते हुए बताया कि खसरा संख्या 119 रकबा 09.02 बीघा, खसरा संख्या 115 रकबा 11.09 बीघा, खसरा संख्या 118 रकबा 09.06 बीघा कुल रकबा 29.14 बीघा भूमि दिनांक 10.06.1980 में जरिये रजिस्ट्री रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 के पिता भारथाराम ने स्वयं ने खरीदी थी। इसमें भारथाराम के भाई सवाराम का कोई लेना देना नहीं था नहीं रूपये दिये थे क्योंकि उनकी पत्नी एलकोबेक्स जोधपुर में नौकरी करती थी व उसका पूरा परिवार जोधपुर में ही रहता था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिकूल पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अरसा एक माह पूर्व उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर उसे बेदंखल करने का प्रयास करने लगा जिस पर अपीलांट ने ऐसा करने का कारण पूछा तो उतरदाता संख्या 01 ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा आधा हिस्सा वादग्रस्त भूमि मेरे नाम करवा दिया जाहिर किया। तब अपीलांट द्वारा वादी द्वारा पेश वाद व निर्णय की नकलें मांगी जो नकलें तैयार होकर दिनांक 06.05.2016 को प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादी ने अपने वाद–पत्र के पद संख्या 02, पद संख्या 08 तथा साक्षी रूप में मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत अपने शपथ–पत्र के बिंदु संख्या 02 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि उसके पिता गेगरजी का वर्ष संवत 2035 में स्वर्गवास/देहांत हुआ। यही कथन उसकी ओर से प्रस्तुत दोनों गवाहों ने भी हूबहू शपथ–पत्र में भी किया गया है। वादग्रस्त भूमि के विक्रेता मोफला(मोफिया) पुत्र भूरा के द्वारा क्रेता भारताराम (प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 का पिता) के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 10.06.1980 को निष्पादित होकर पंजीबद्ध हुआ। इस विक्रय विलेख की **दिनांक 10.06.1980 तदनुसार विक्रम संवत 2037 बैठता है।** स्व0 गेगरजी की **मृत्यु विक्रम संवत 2035 मे होने के 2 वर्ष पश्चात यह विक्रय विलेख पंजीबद्ध हुआ।** इस दृष्टि से वादी के कथन असत्य, निराधार एवं सद्भावी नहीं है। पत्रावली पर वादी पक्ष के केवल 02 गवाह फौजाराम पुत्र जवारजी की उम्र 40 वर्ष, कासमखां पुत्र उमरखां उम्र 46 वर्ष उपस्थित हुए है, **जिनकी निर्णय वर्ष 2013 में उम्र क्रमशः 07 वर्ष एवं 13 वर्ष ठहरती है।** वादी के कथनों के संबंध में उनकी याददाश्त एवं जानकारी संदेहास्पद है। विवादित आराजी बाकायदा जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख अपीलांट पक्ष की खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त पंजीबद्ध **विक्रय विलेख प्रभावी एवं विद्यमान है।** इसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर खारिज नहीं करवाया गया है। विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या 01 के कब्जे काश्त बाबत भी स्पष्ट साबित नहीं हो पाया है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर जोधपुर एलकोबेक्स में पति–पत्नी दोनों के नौकरी करने के बावजूद कब्जा–काश्त होना संदिग्ध हैं, क्योंकि वादी स्वयं अपने वादपत्र में पद संख्या 12(अ) में चाहता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि मय Part of the holding बेरा का **"काबिज खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे।"** बेरे के खुदवाये जाने के कथन को भी अपील मीमों में बाद में स्याही से लिखकर जोड़ा गया है जिसकी ताईद साक्षियों द्वारा, यहां तक कि वादी स्वयं के अपने शपथ–पत्र में नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय में इस विक्रय विलेख से प्राप्त खातेदारी हकूकों में वादी का हक–हिस्सा घोषित करना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/2011 बअनवान सवाराम बनाम भारताराम कायम मुकाम पुखराज में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.11.2013 बेबुनियाद, विधि विरूद्ध, असत्य एवं सद्भावी नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner